रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 1994/चैत्र 10, 1916

No. 159] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1994/CHAITRA 10, 1916

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

का.आ. 277(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./94:—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के कानूनी आदेश संख्या 157(अ/18क/आई.डी.आर.ए./79, तारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता में स्थित मैसर्स लिल्ली बिस्कुट कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिल्ली बार्ले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक दोनों औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंध का 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिये अधिग्रहण किया गया था और रुग्ण और वन्य उद्योग विभाग, जो अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, में पश्चिम बंगाल सरकार के सचिव को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभारी बना रहे, 31 मार्च, 1994 तक की और अवधि के लिये ऐसे बने रहने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये थे। [देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश]।

सं. का.आ. 178(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 26 मार्च, 1982

सं.का.आ. 688(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 25 सितम्बर, 1982

सं.का.आ. 384(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 31 मई, 1983

सं.का.आ. 936(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 29 दिसम्बर, 1983

सं. का.आ. 469(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 28 जून, 1984

सं. का.आ. 967(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 28 दिसम्बर, 1984

सं. का. आ. 280(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./85, तारीख 30 मार्च, 1985

सं.का.आ. 144(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./86, तारीख 31 मार्च, 1986

सं.का.आ. 271(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./87, तारीख 30 मार्च, 1987

सं.का.आ. 327(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./88, तारीख 30 मार्च, 1988

सं.का.आ. 246(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./89, तारीख 31 मार्च, 1989

सं.का.आ. 275(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./90, तारीख 30 मार्च, 1990

सं.का.आ. 213(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./91, तारीख 26 मार्च, 1991

सं.का.आ. 249(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./92, तारीख 30 मार्च, 1992 और

सं.का.आ. 218(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./93, तारीख 31 मार्च, 1993

और, यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1995 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश 31 मार्च, 1995 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[फा.सं. 2(3)/80-सी.यू.एस./आई.आर.एस.]

अखण्ड प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1994

S.O. 277(E)|18A|IDRA|94.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)|18A|IDRA|79 dated the 27th March, 1979, (hereinafter referred to as the said Order) the management of industrial undertakings known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs Lily Barely Mills (Private) Limited both located in Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta, was appointed as 'Authorised Controller'.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should coninue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto 31st March, 1994 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development).

Nos. S.O. 178(E)|18A|IDRA|82, dated the 26th March, 1982

S.O. 688(E)|18A|IDRA|82, dated the 25th September, 1982,

S.O. 384(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st May, 1983,

S.O. 936(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th Decemmber, 1983,

S.O. 469(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 967(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th December, 1984,

S.O. 280(E)|18A|IDRA|85, dated the 30th March, 1985,

S.O. 144(E)|18A|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,

S.O. 271|E)|18A|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,

S.O. 327(E)|18A|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,

S.O. 246(E)|18A|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,

S.O. 275(E)|18A|IDRA|90, dated the 30th March, 1990,

S.O. 213(E)|18A|IDRA|91, dated the 26th March, 1991,

S.O. 249(E)|18A|IDRA|92, dated the 30th March, 1992 and

S.O. 218(E)|18A|IDA|93, dated the 31st March, 1993.

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1995.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of the Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, March, 1995.

[File No. 2(3)|80-CUS|IRS]

A. P. SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994